पर्यावरण जागरण श्रृंखला - 2

सावधान!

हम शहरों का गला घोंटकर अपने ही विनाश का बंदोबस्त कर रहे हैं...

शहरी जैव-विविधता को हम कैसे नष्ट कर रहे हैं? उसे बचाने के लिए क्या करें? आइए समझते हैं...

The NATURE VOLUNTEERS
An Informal Pressure Group of Environmentally Restless People

The Nature Volunteers®, Indore

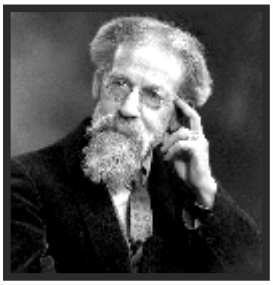

यह पुस्तिका शहरों के महान डिज़ाईनर सर पैट्रिक गेडीज़ (1854 – 1932) को समर्पित है।

वे शहरों में भरपूर हरियाली एवं खुली जगहों के अलावा मनुष्य और जैव- विवधता के सह-अस्तित्त्व के प्रखर पक्षधर थे।

यह पुस्तिका क्यों?

जैव-विविधता एक वृहद् विषय है। यद्यपि भारत अपनी अत्यंत समृद्ध जैव-विविधता के लिए पूरे विश्व में अलग पहचान रखता है, यह प्राकृतिक धरोहर आज गंभीर संकट में है, विशेषतः शहरों में।

द नेचर वॉलंटीयर्ज़ (TNV) का पवित्र उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण हेतु जन-जागरण है। अतः यह प्रकाशन शहरी जैव-विविधता की दिशा में जन-जागृति हेतु किया गया एक छोटा सा प्रयास है। इससे पहले हम 'ग्रे-वॉटर' पर भी ऐसी ही एक पुस्तिका प्रकाशित कर चुके हैं।

अस्वीकरण

हम क़तई नहीं कहते कि शहरी जैव-विविधता के हर अंग को या विभिन्न संस्थाओं द्वारा संरक्षण के भगीरथ प्रयासों को यहाँ स्थान मिला है।

इस पुस्तिका में प्रयुक्त फ़ोटो केवल समझाने हेतु हैं।

मार्गदर्शन –
पद्मश्री भालू मोंढे, इन्दौर

आकल्पन –
अभिलाष खांडेकर, भोपाल

लेखन –
अभ्युदय केलकर, भोपाल

प्रस्तावना

भारतीय शहर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। शहरीकरण की भयावह रफ़्तार से धीरे-धीरे हमारी ग्रामीण संस्कृति भी ख़त्म होती जा रही है, और शहरों में बढ़ती भीड़ से यहाँ की हरियाली और स्वच्छ हवा भी। शहरी जीवन के अपने विभिन्न आकर्षणों व सुविधाओं के चलते लाखों की संख्या में ग्रामीण लोग शहरों की तरफ़ भाग रहे हैं। क्या यह हमारी ग्रामीण विकास की अवधारणा की असफलता नहीं है? गाँधीजी तो कह गए कि भारत गाँवों में बसता है। परंतु विकास के भारी भरकम नारों ने ग्रामीणों को शहरों की तरफ भागने पर मजबूर किया है। गाँव उजड़ते जा रहे हैं, शहर बेतहाशा बढ़ रहे हैं। पिछले तीन दशकों के जनसंख्या के आँकड़े ही इसे साबित कर देंगे। शहरों के विकास पर अधिकाधिक ध्यान देने से हमारी सरकारें क्या जैव-विविधता को भारी संकट में नहीं डाल रही हैं? वह भी ऐसे समय में जब सारा विश्व पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंतित है? यह एक गंभीर विचारणीय मुद्दा है। इसके दूरगामी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक दुष्परिणाम होंगे।

यदि शहरों को सुंदर एवं स्वस्थ बनाए रखना है तो जैव-विविधता संरक्षण के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। शहरों को नरक बनने से रोकने के लिए भी जैव-विवधता ही काम आएगी।

आज भारतीय शहरों की जनसँख्या लगभग 50 करोड़ है जो 2035 में बढ़कर 67.5 करोड़ होने की संभावना है।[1] दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुरुग्राम, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, लखनऊ, इंदौर, इत्यादि महानगरों के हालात बता रहे हैं कि नागरिकों की समस्याएँ बढ़नी ही हैं।

इसीलिए **'द नेचर वॉलंटीयर्ज़'** का यह मानना है कि शहरी प्रशासन से सम्बंधित सभी अधिकारियों को तथा विभिन्न निजी एवं सरकारी निर्माण एजेंसियों को जैव-विवधता के प्रति संवेदनशील होना होगा, उसके महत्त्व को समझ कर उसे सहेजना होगा। नगर निगमों के आला अधिकारी, महापौर, पार्षदगण, निजी ठेकेदार, नगर नियोजक, वास्तुकार (architects), लोक निर्माण विभाग, मेट्रो रेल प्रशासन, स्मार्ट सिटी एवं अन्य अनेक विभागों से यह अपेक्षा है कि वे शहरी जैव-विविधता को जिस तरह से विकास के नाम पर नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसे देखें-समझें एवं संरक्षण की नीति तुरंत बनाएँ।

राज्य जैव-विविधता बोर्डों को चाहिए कि समय-समय पर विभिन्न विभागों से तालमेल कर प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित करें ताकि नुकसान कम हो और संरक्षण सुनिश्चित हो। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भी नए और कड़े नियम बनाने पड़ेंगे जिससे हमारे शहर अगले कई दशकों तक बचाए जा सकेंगे। वृक्ष, खुले मैदान, तालाब, पोखर, बगीचे, झाड़ी-झुरमुट इत्यादि में विभिन्न कीटक, पशु-पक्षियों आदि के बसेरे होते हैं। उन्हें बचाना हम सभी का कर्त्तव्य है। शहरों में खुले मैदानों के संरक्षण के लिए तो अब सरकारों को अलग से नीति बनाना अत्यंत आवश्यक हो चुका है। खुले मैदान, जल संरक्षण, जैव-विविधता, बढ़ते तापमान को रोकने तथा सामाजिक उपयोग के लिए यह नितांत आवश्यक है।

स्वयं हमारा ही अस्तित्त्व ख़तरे की कगार पर खड़ा है। यदि शहर नहीं बचेंगे तो करोड़ों की संख्या में रहने वाले नागरिक कहाँ जाकर बसेंगे? कभी सोचा है? राजनैतिक नेताओं को भी इसे गंभीर चुनौती के रूप में आज से ही देखना होगा व उपाय ढूंढने होंगे। दिल्ली का भयानक प्रदूषण, बेंगलुरु की कम होती हरियाली, चेन्नई की पानी की समस्या या पुणे की लुप्त होती पहाड़ियाँ क्या अब भी हमें गहरी नींद से नहीं जगा सकी हैं?

शहरों का बढ़ता तापमान, कम होते जल स्रोत, सूखती हरियाली, सिकुड़ते तालाब, प्रदूषित हवा और अपवित्र होती नदियाँ – यह सब जैव-विवधता के महत्त्व से अनजान एक ही प्रजाति कर रही है। वह है मानव प्रजाति – यानी हम सब।

आइए, शहरी जैव-विविधता के महत्त्व को समझिए और संरक्षित करने हेतु गंभीर प्रयास शुरू कीजिए।

आज ही। क्योंकि एक सुनहरा कल शायद हम देख ही न पाएँ!

अभिलाष खांडेकर
सह-संस्थापक
द नेचर वॉलंटियर्ज
kabhilash59@gmail.com

गहरे संकट में है शहरों का अस्तित्त्व!

- वर्ष 2022 की गर्मी ने सारे देश को झुलसा दिया था। सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए थे। इसका सबसे ज़्यादा असर शहरों में महसूस हुआ। यह एक स्पष्ट चेतावनी थी।

- हमारे शहरों में जीवन चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, जिसके कारण हैं -
  - दूषित जल और प्रदूषित वायु
  - बढ़ता तापमान
  - मरुस्थलीकरण
  - पानी की कमी
  - बढ़ते वाहन
  - ध्वनि प्रदूषण

- यही स्थिति बनी रही तो आने वाले कुछ वर्षों में हमारे शहर रहने लायक रह नहीं जाएँगे, यह शाश्वत सत्य है।

- सिर्फ पर्यावरण, वन एवं जैव-विविधता से जुड़े सरकारी संगठनों के प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। अन्य विभागों की भूमिका भी अहम है।

- नगरीय प्रशासकों एवं विशेषज्ञों को तो अधिक गंभीर होना होगा।

- सभी को आगे बढ़कर प्रयास करने होंगे, जो फ़िलहाल नहीं हो रहे हैं।

- यह केवल हमारा दायित्व ही नहीं वरन शहरों के अस्तित्त्व का प्रश्न है।

- ख़तरा अब तेज़ी से बढ़ रहा है। इसे पहचानिए और काम पर लग जाइए। कोई और इसे करेगा यह मत सोचिए।

जैव-विविधता क्या है?

जैव-विविधता अधिनियम (Biological Diversity Act), 2002 की धारा 2 (ख) के अनुसार - "जैव-विविधता से सभी संसाधनों से सप्राण जीवों के बीच परिवर्तनशीलता और पारिस्थितिक जटिलताएं जिनके वे भाग हैं अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत प्रजातियों में या प्रजातियों और पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच विविधता भी है।" [2]

धारा 2 (ग) के अनुसार -"जैव संसाधनों से पौधे, जीव-जन्तु और सूक्ष्म जीव या उनके भाग, वास्तविक या संभावित उपयोग या मूल्य सहित उनके आनुवंशिक पदार्थ और उपोत्पाद (मूल्यवर्धित उत्पादों को छोड़कर) अभिप्रेत हैं किन्तु इसके अंतर्गत मानव आनुवंशिक पदार्थ नहीं है।" [2]

इन परिभाषाओं का सार है -

जीवों के विभिन्न प्रकार, उनकी विभिन्न प्रजातियाँ और इन सबके आपसी नैसर्गिक तंत्र जो इन्हें संचालित करते हैं।

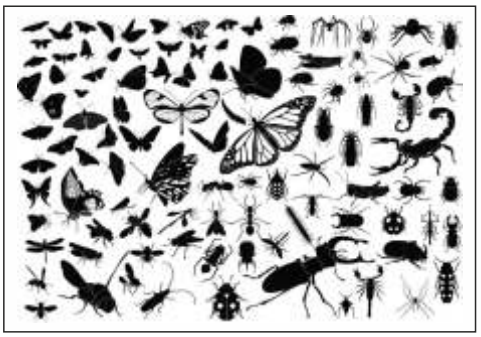

शहरों में जैव-विविधता (Urban Biodiversity)

शहरों में भी लाखों प्रजातियों के प्राणी-पेड़ हमारे साथ सहज भाव से रहते हैं जैसे –

- गिलहरी, चूहे, बिल्ली, नेवले, चमगादड़
- खरगोश, बंदर, सियार, तेंदुए, बाघ
- मेंढक, मछलियाँ
- गिरगिट, छिपकलियाँ, साँप, कछुए
- केंकड़े,बिच्छू, कीड़े-मकौड़े, तितलियाँ, इल्लियाँ
- केंचुए
- पेड़-पौधे-घास-झाड़ियाँ
- सभी प्रकार के पक्षी
- बेहिसाब सूक्ष्मजीव
- कुकरमुत्ते-फफूँद

स्वयं करके देखें (1) – आइए हम स्वयं भी ऐसी ही एक सूची बनाने का प्रयत्न करें। अपने परिवेश को समझने का प्रयास करें।

शहरी क्षेत्रों में जीव कहाँ-कहाँ रहते है?

1. बड़े घने पुराने पेड़ (Old Trees)

5. शहरी वन (Urban Forests)

2. बाग़-बगीचे–उपवन (Parks and Gardens)

6. तालाब और आर्द्रभूमियाँ (Lakes and Wetlands)

3. खुली जगहें और मैदान (Open Lands)

7. कुँए और बावड़ियाँ (Wells)

4. पहाड़ और चट्टान (Hills, Hillocks & Rocks)

8. नदियाँ और नाले (Rivers and Rivulets)

<u>स्वयं करके देखें (2)</u> – आइए हम भी अपने शहरों के इन सभी स्थानों की जैव-विविधता की अलग-अलग सूचियाँ बनाने का प्रयास करें!

जैव-विविधता संरक्षण के वैश्विक स्तर पर प्रयास

- सन् 1992 में वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से लड़ने और जैव-विविधता संरक्षण के लिए ब्राज़ील के रियो-डी-जेनेरो (Rio de Janeiro) में संयुक्त राष्ट्र ने एक सभा की, जिसे 'अर्थ समिट' (Earth Summit) कहते हैं।
- वहाँ सभी राष्ट्रों की सहमति से एक समझौता हुआ - जैव-विविधता कन्वेंशन (Convention on Biological Diversity), 1992 [3]
- इसे सी.बी.डी. (CBD) कहते हैं।

- CBD को जैव-विविधता संरक्षण की नींव का पत्थर कहा जा सकता है।
- दुर्भाग्य से भारत में CBD को लागू करने के लिए भारत सरकार को दस वर्ष लगे। यह सरकार का जैव-विविधता संरक्षण के प्रति असंवेदनशील रवैया दर्शाता है।
- वर्ष 2000 में बने 'सहस्राब्दी विकास लक्ष्य' (MDG) की अवधि 2015 समाप्त हुई और उस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में '2030 सतत् विकास हेतु एजेंडा' के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 सतत् विकास लक्ष्य अर्थात् सस्टेनेबल डेवेलपमेंट गोल्स (SDG) अंगीकृत किये गए।
- SDG सं.15: "सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।" [4]

जैव-विविधता संरक्षण का तंत्र

- अंततः CBD के उद्देश्यों को भारत में लागू करने के लिए वर्ष 2002 में संसद ने जैव विविधता अधिनियम (Biological Diversity Act/ BDA, 2002) पारित किया।
- जैव-विवधता अधिनियम (2002) के क्रियान्वयन और संचालन के लिए इन संस्थाओं का गठन हुआ -
  - नेशनल बायोडायवर्सिटी ऑथोरिटी (NBA)
  - राज्य जैव-विविधता बोर्ड (SBB)
  - बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी यानी जैव-विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMC)
- BMC से जैव-विविधता संरक्षण की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर से नगर पालिका और पंचायत के स्तर पर आ जाती है।

एन.बी.ए. से प्राप्त जानकारी के अनुसार जुलाई 2022 में भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र-शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 2,76,895 बी.एम.सी. गठित हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बी.एम.सी. (59,407) और पुडुचेरी में न्यूनतम (0) हैं। [5]

पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBR)

- BMC का एक प्रमुख उद्देश्य है अपने-अपने शहर/गाँव की जैव-विविधता की पंजी 'पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर' यानी PBR बनाना और उसमें समय-समय पर संशोधन करना।
- इस PBR में BMC अपने क्षेत्र के लोगों, समुदायों और संस्थाओं की मदद से वहाँ के जीव-जंतुओं, औषधीय पौधों सहित तमाम पेड़-पौधों, फफूंदों, खेती के प्रकार इत्यादि की जानकारी दर्ज की जाना अपेक्षित है।
- किंतु यह काम काफी धीमा चल रहा है जो एक चिंता का विषय है।

<u>स्वयं करके देखें (3)</u>
आइए हम सब भी अपने-अपने शहर के BMC और PBR के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयत्न करें ।

नेशनल ग्रीन ट्रायब्युनल (NGT)

वर्ष 2010 में पर्यावरण, जैव-विविधता इत्यादि से संबंधित समस्याओं और कानूनी मामलों को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रायब्युनल (NGT) का गठन किया गया।
इसका मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है और खंड-पीठ भोपाल, पुणे, चेन्नई एवं कोलकाता में स्थित हैं। [6]

पर्यावरण संबंधी 36 से भी अधिक अधिनियम और नियम बने हुए हैं। तंत्र (सिस्टम) भी स्थापित हो चुका है। बावजूद इसके पर्यावरणीय समस्याएँ ज्यों की त्यों है, जो एक बड़ी चिंता का सबब है। [7]

शोषण, प्रदूषण, अतिक्रमण

- इन तीन व्याधियों से आज भारत के सभी नदी-नाले, तालाब, कुएँ इत्यादि जल-स्रोत दम तोड़ रहे हैं।
- शहरी क्षेत्रों और उनके आस-पास में इसकी रफ़्तार भयावह है।
- चौथी विकराल समस्या है जलकुंभी जो किसी जल्लाद की तरह जलीय जैव-विविधता का दम घोंट रही है।
- पाँचवी समस्या है 'नदियों का सौंदर्यीकरण'। शहरों में नदी के नैसर्गिक किनारों को 'सुंदर' बनाने के लिए उनका सीमेंटीकरण कर किनारों की जैव-विविधता को नष्ट किया जा रहा है। नदी विशेषज्ञ इसका लगातार विरोध कर रहे हैं।

शहरों में नदियों की दुर्दशा देखनी हो तो दिल्ली और आगरा में यमुना, लखनऊ में गोमती, उज्जैन में क्षिप्रा, अहमदाबाद में साबरमती, इंदौर में कान्ह, पुणे में मुला-मुठा इत्यादि नदियों को देखकर समझा जा सकता है।

- मैदानों और खुली जगहों को तो 'बेकार ज़मीन' बताकर उनपर अटारियाँ तानी जा रही हैं। तालाबों को पाटा जा रहा है, उनपर अतिक्रमण हो रहा है। यह सब रोकना है – आपको, हमको, सभी को!

स्वयं करके देखें (4)

छोटी नदियों, नालों और तालाबों पर किस पैमाने पर और किस गति से अतिक्रमण हो रहा है उसे प्रत्यक्ष देखने के लिए गूगल मैप में अपने सबसे नज़दीकी तालबों को और नदी-नालों को उद्गम से लेकर आखिर तक देखिए।
रास्ते में जगह-जगह कॉलोनी या अन्य कोई निर्माण प्रोजेक्ट चल रहा होगा। थोड़े-थोड़े दिनों में यह दोहराते रहें ।
फिर उस जगह को प्रत्यक्ष जाकर देखें और हरियाली, वृक्ष, खुले मैदान, नदियों, तालाबों, इत्यादि को बचाने हेतु आवाज़ बुलंद करें!

शहरों की डिजाइनिंग और प्लानिंग कैसी हो?

कोई भी नगर या कॉलोनी डिज़ाइन करते समय या मास्टर-प्लान बनाते समय योजनाकर्ता निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

- शहरों के नियोजन में सिर्फ भवन, सड़कें, मॉल, होटल, अस्पताल आदि बनाने का न सोचें; खुली ज़मीन, बगीचे, तालाब और वृक्षों का ख्याल ज़रूर रखें। वे भी शहरों की पहचान हैं।

- तालाबों के कैचमेंट क्षेत्र में न्यूनतम निर्माण हो।

- मुंबई में बरसात का पानी ज़मीन सोख सके यह संभावना लगभग ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मुंबई सीमेंट-कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुका है।
- इसीलिए ज़मीन में बारिश का पानी रिसता रहे ऐसी व्यवस्था करें।

- पर्यावरण संबंधी कानूनों और NGT व अन्य न्यायालयों के आदेशों का सख्ती से पालन हो।

- कृत्रिम बगीचों (Artificially Curated Gardens) को बढ़ावा न देकर स्थानीय वनस्पति को रोपित करें जिस पर चिड़ियाँ, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ आदि बैठ सकें, घरौंदा बना सकें।

- उस क्षेत्र के जैव-विविधता का आंकलन किया जाए। यदि किसी जगह की जैव-विविधता समृद्ध है तो उस क्षेत्र को न छेड़ा जाए, और कोई दूसरा विकल्प ढूँढा जाए।

शहरों की डिजाइनिंग और प्लानिंग कैसी हो?

- जैव-विवधता से भरपूर क्षेत्रों को चिन्हित करें। ऐसे स्थानों को राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, आई.बी.ए., रामसर स्थल, या अन्यत्र संरक्षित स्थल (Other Effective Area-based Measures, OECM [7]), इत्यादि यथोचित दर्जा दिलवाने के लिए प्रयास हों।
  उदाहरण के लिए -
  भोपाल के वन विहार, हैदराबाद के तीन शहरी वनों और चेन्नई के गिंडी वन-क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। इन्हें प्लानिंग के समय ही चिन्हित कर लिया गया था।

- शहर भविष्य में किस दिशा में और कैसे बढ़ सकता है उसका पूर्वानुमान, और भावी बसाहट को पर्याप्त शुद्ध हवा, पानी और हरियाली मिलती रहे इसकी पहले से व्यवस्था हो।

- शहरों में ग्रामीण अंचलों से लगातार स्थलांतरण से उत्पन्न ख़तरों को पहचानें और 'स्मार्ट विलेज' बनाने पर ध्यान दें।

- वन्य प्राणियों के आने-जाने के रास्तों (migration routes and corridors) में किसी प्रकार की रुकावट न आने दें।

सरकार और प्रशासन क्या करें?

कुछ कार्य शासक-प्रशासक वर्ग ही कर सकता है क्योंकि योजना बनाने और उनको साकार करने के अधिकार उन्हीं के पास होते हैं।

प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को चाहिए कि वे -

- अपने-अपने स्तर पर BMC को आदर्श रूप से संचालित करें और PBR को 'अप टू डेट' रखें। BDA-2002 का अक्षरशः पालन करें।
- मातहत प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को भी जैव-विविधता संरक्षण के लिए शिक्षित, प्रशिक्षित और प्रेरित करें।
- दूरदर्शिता दिखाते हुए नीतियाँ और नियम बनाते समय जैव-विविधता को भी प्राथमिकता देना शुरू करें। मंत्रीगण, विधायकगण, पार्षदगण एवं महापौर भी इसे समझें।
- जैव-विविधता संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य कर रहे शहरियों और संगठनों को सम्मानित और प्रोत्साहित करें।
- पर्यावरण कार्यकर्ताओं के प्रति संवेदनशील बनें। उनकी भावनाओं को समझें और समस्याओं का समाधान करें। अक्सर वे निस्वार्थ भाव से पर्यावरण जागरूकता एवं संरक्षण कार्य करते हैं।
- जलकुंभी और अतिक्रमण पर सख्ती से कार्यवाही करें। तालाब स्वच्छ रखें और केचमेंट क्षेत्रों को संभालें।
- जैव-विविधता के आधुनिक मानकों और सूचकों पर खरे उतरने का प्रयास करें।

शहरी जैव-विविधता के सूचक एवं सूचकांक

- सिंगापुर ने कुछ दशकों पहले अलग-अलग मानकों को ध्यान में रखते हुए 'सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स' बनाया था। [8]

  इसी पर आधारित भारत में हाल ही में निम्नलिखित शहरों में सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स बनाने के प्रयोग किए गए –
  श्रीनगर, जम्मू, देहरादून, राजकोट, भोपाल, इंदौर, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, कोच्ची, हैदराबाद, सिलीगुड़ी और गंगटोक [8]

- निम्नलिखित शहरों में शहरी जैव-विविधता को संभालने और संजोने की रणनीति बनाने और क्रियान्वित करने के लिए 'लोकल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान' (LBSAP) बनाए गए – श्रीनगर, जम्मू, उदयपुर, राजकोट, नागपुर, कोच्ची, सिलीगुड़ी, गंगटोक [8]

- निम्नलिखित शहरों में पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBR) की पहल की गई है – चंडीगढ़, नागपुर, ठाणे और इचलकरंजी [8]

- केंद्र सरकार ने 'स्मार्ट सिटी मिशन' के तहत इन पाँच क्षेत्रों के आधार पर 'क्लाइमेट स्मार्ट सिटी अस्सेस्मेंट फ्रेमवर्क' (CSCAF) लागू किया है: [8][9]
  - ऊर्जा व 'हरित भवन'
  - जल प्रबंधन
  - यातायात व वायु गुणवत्ता
  - अपशिष्ट प्रबंधन
  - शहरी सुयोजन, हरियाली व जैव-विविधता, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित 5 बिंदु आते हैं: [9][10]
    - शहरी जैव-विविधता (Urban Biodiversity)
    - जलवायु की दृष्टि से 'सिटी क्लाइमेट एक्शन प्लान (CCAP)
    - आपदाओं को रोकने का और पुनर्स्थापन का तंत्र (Disaster Resilience)
    - हरियाली का अनुपात (Proportion of Green Cover)
    - जल-स्रोतों और खुली जगहों का संरक्षण और कायाकल्प (Rejuvenation and Conservation of Water Bodies and Open Areas)

नागरिक क्या-क्या कर सकते हैं?

एक आम शहरी का जीवन अत्यंत व्यस्त होता है।
व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो वह अपने आस-पास के शहरी क्षेत्र में ही जैव-विविधता संरक्षण के सार्थक प्रयास कर सकता है।
इसका मूल-मंत्र है - वैश्विक मुद्दों को समझें, स्थानीय स्तर पर पहल करें !
(Think globally, Act Locally)

- अपने शहर की जैव-विविधता को लेकर न केवल स्वयं जागरूक हों बल्कि सक्रीय भी हों। अपने परिजनों एवं मित्रों को भी जागरूक और सक्रीय करें। यह वसुंधरा हमारी सबकी है।

- संरक्षण को जन-आंदोलन बनाकर स्थानीय और नगरीय स्तर पर इसे राजनैतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करें।

- सरकारी संस्थाओं पर जैव-विविधता बचाने हेतु दबाव बनाएँ।

- सरकार और प्रशासन को बार-बार पर्यावरण क़ानूनों की याद दिलाएँ। उदाहरण के लिए, आप सड़क के किनारे लगे पेड़ों के आस-पास से पेवर हटवा सकते हैं। इसके लिए NGT के आदेश का हवाला दिया जा सकता है।

स्वयं करके देखें (6)

संरक्षण कार्य के लिए अपने कार्यक्षेत्र का विवेकपूर्वक चयन करें। अपने आस-पास का कोई बड़ा और घना पेड़ चुन लें, अथवा कोई तालाब/ आर्द्रभूमि, या कोई वन-उपवन, या कोई नदी-नाला। उसके संरक्षण के लिए यथासंभव प्रयास करें।

संरक्षण के प्रयास क्यों कमज़ोर हैं?

पर्यावरण संबंधी कई अधिनियम बने हुए हैं। तंत्र (सिस्टम) भी स्थापित किया जा चुका है। पर इच्छाशक्ति नदारद है। क्यों?

<u>उपयोगिता ही लोकप्रियता का आधार होती है।</u>

- हमारी शैक्षणिक व्यवस्था बच्चों को जैव-विविधता की उपयोगिता समझाने और उसकी अनुभूति करवाने में शायद असफ़ल रही है, जबकि बच्चे मूलतः स्वभावतः प्रकृति प्रेमी होते हैं।

- फलतः सारा समाज प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनहीनता के चक्रव्यूह में फँसा हुआ है, जिसे शिक्षण के स्तर पर ही तोड़ा जा सकता है।

- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एकमात्र कद्दावर राजनेता हैं जो प्रतिदिन एक पेड़ लगाकर समाज में एक अनोखा आदर्श स्थापित कर रहे हैं।

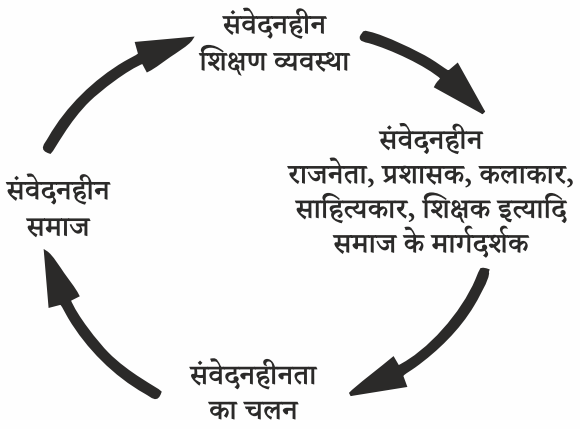

ऐसा अन्य मुख्यमंत्री और मंत्री क्यों नहीं कर सकते?

<u>स्वयं करके देखें (7)</u>

कई स्कूलों में पर्यावरण जागरण के लिए 'ईको-क्लब' बनाए जाते हैं। [11]
अभिभावक अपने बच्चों की शालाओं के ईको-क्लब की स्थिति का पता करें।

शहरी जैव-विविधता को बचाने हेतु इंदौर में राष्ट्रीय स्तर का पहला सम्मेलन एवं इंदौर घोषणा-पत्र

- दिनांक 5 और 6 अगस्त 2022 को इंदौर में पहला शहरी जैव-विविधता संरक्षण सम्मलेन आयोजित किया गया।

- इसमें इंदौर शहर के अलावा देश भर से पर्यावरण प्रेमी, संरक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, नगर नियोजक, वास्तुकार, पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों के विशेषज्ञ, इत्यादि ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने सुझाव दिए।

- इसमें शहरी जैव-विविधता के संरक्षण और सुनियोजन को लेकर गंभीर मंत्रणाएँ हुईं तथा 'इंदौर घोषणा-पत्र' जारी किया गया। [12] घोषणा-पत्र का सार:
  - अंधाधुंध शहरीकरण के कारण हो रहे जैव-विविधता के महाविनाश और उससे उत्पन्न होने वाले ख़तरों के वैज्ञानिक प्रमाणों का पूरी गंभीरता से स्वीकरण।
  - शहरी नियोजन में जैव-विवधता संरक्षण की आवश्यकता का स्वीकरण।
  - जनसाधारण, शिक्षक, निजी क्षेत्र व समाज के अन्य सभी वर्गों और शासन के सभी तीनों स्तरों पर हो रहे संयुक्त एवं उल्लेखनीय प्रयासों का अभिनंदन और स्वागत।
  - सरकार, संथाओं और संस्थानों, नागरिकों, इत्यादि से शहरी जैव-विविधता संरक्षण अभियान में पूरे मनोयोग से भाग लेने की अपील।

फोटो – राजेश मालवीय

इंदौर घोषणा-पत्र विमोचन के समय उपस्थित देश के कुछ पर्यावरणविद्

संदर्भ स्रोत (References)

[1] *The Hindu June 30, 2022*
thehindu.com/news/national/indias-urban-population-to-stand-at-675-million-in-2035-behind-chinas-1-billion-un/article65584707.ece
[2] Sections 2(b) and 2(c) of Biological Diversity Act, 2002
[3] CBD की वेबसाईट - cbd.int
[4] SDG की वेबसाईट - globalgoals.org
[5] NBA की वेबसाईट - nbaindia.org
[6] NGT की वेबसाईट - greentribunal.gov.in
[7] अर्बन अपडेट (मासिक) सितंबर 2022 का लेख -
"Biodiversity & Urban Eco-system", पृष्ठ सं. 28-29 वेबसाईट - urbanupdate.in
[8] अर्बन अपडेट (मासिक) सितंबर 2022 का लेख -
"Conservation of Urban Biodiversity in India", पृष्ठ सं. 32-33
वेबसाईट - urbanupdate.in
[9] NIUA (New Delhi) की वेबसाईट - niua.in/csc/key-documents.html#menu2
[10] NIUA (New Delhi) द्वारा वर्ष 2021-22 में प्रकाशित CSCAF (Urban Planning, Green Cover and Biodiversity) ट्रेनिंग मेन्युअल
[11] सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एज्युकेशन (CEE) की वेबसाईट –
ceeindia.org/eco-club-programmes-education-for-children
[12] द नेचर वॉलंटीयर्ज़ (TNV) की वेबसाईट - tnvindia.org/ncubc2022

बाघ जैव-विविधता के शीर्ष पर बैठता है।
शहरी इलाके में इतने बाघ देश में कहीं नहीं हैं जितने भोपाल में हैं।
सौभाग्य से पिछले 15 वर्षों में यहाँ बाघ के कारण एक भी जनहानि नहीं हुई है ।

The NATURE VOLUNTEERS
An Informal Pressure Group of Environmentally Restless People

The Nature Volunteers®, Indore

अध्यक्ष: पद्मश्री भालू मोंढे
सचिव: देव कुमार वासुदेवन

कार्यालय: 3/2, न्यू पलासिया, इंदौर (म.प्र.)
वेबसाईट: www.tnvindia.org
ईमेल: volunteersnature@gmail.com
फ़ोन: 9893076711, 9993110057